

**भारत सरकार**  
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न सं. 1003**  
**05 फरवरी 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए**

**अमृत मिशन के लिए वित्तपोषण पैटर्न**

**+1003. श्री असादुद्दीन ओवैसी:**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत बासठ प्रतिशत व्यय जल आपूर्ति पर किया जाता है और केवल चौंतीस प्रतिशत मल-जल शोधन पर किया जाता है जबकि जल कायाकल्प निकायों को आवंटन का केवल तीन प्रतिशत ही प्राप्त होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आपूर्ति किए गए प्रत्येक लीटर जल पर अस्सी प्रतिशत अपशिष्ट जल के रूप में वापस आ जाता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस अपशिष्ट जल को रोकने अथवा उसका शोधन करने तथा इसे पेयजल और जल निकायों में मिलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) मल-जल प्रबंधन अवसंरचना का उन्नयन किए जाने के बाद सरकार द्वारा नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे; और

(ङ) क्या सरकार का मल-जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए अमृत दिशानिर्देशों को पुनः डिजाइन करने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून, 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था। मिशन चयनित शहरों और कस्बों में, जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; तूफान

वर्षा जल निकासी; हरित क्षेत्र और पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मूल अवसंरचना के विकास पर केंद्रित था। अमृत के तहत, 83,471 करोड़ रुपये की कुल शुरु की गई परियोजनाओं में से, राज्यों ने जल आपूर्ति में 43,359.6 करोड़ रुपये (51.94 प्रतिशत), सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन में 34,467.01 करोड़ रुपये (41.29 प्रतिशत) और जलाशय पुनरूद्धार के लिए 71.29 करोड़ रुपये (0.09 प्रतिशत) की परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ख) से (ड.) केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) नियमावली के अनुसार, आपूर्ति किए गए जल का अस्सी प्रतिशत अपशिष्ट जल के रूप में प्राप्त होता है।

अमृत के तहत अपशिष्ट जल संग्रह और उसका शोधन करने और इसे पेयजल और जलाशयों में जाने से रोकने के लिए, अमृत के तहत 34,467.01 करोड़ रुपये की 889 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से, लगभग 6,299 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता अनुमोदित की गई है। इसमें से 4,843 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता का निर्माण किया गया है, और 1,437 एमएलडी क्षमता को पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए विकसित किया गया है।

अमृत योजना का विलय अमृत 2.0 के तहत किया जा चुका है, इसकी शुरुआत सभी शहरी स्थानीय निकायों/शहरों में 1 अक्टूबर 2021 की गई थी। अमृत 2.0 शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर जोर देता है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन को सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। इस मिशन के तहत, अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा 66,117.69 करोड़ रुपये की 583 सीवरेज परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,649 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नयी/संवर्धित), 65 लाख घरेलू सीवर कनेक्शन और 34,548 किलोमीटर सीवर लाइनें बिछाना शामिल है। जैसा कि अमृत 2.0 प्लेटफॉर्म पर सिटी वाटर बैलेंस प्लान में शहरों द्वारा सूचित किया गया है, राज्यों द्वारा उद्योगों, बागवानी, कृषि आदि में लगभग 6,535 एमएलडी शोधित जल का पुनः उपयोग किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत एक अन्य, पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग के लिए 1,931 एमएलडी क्षमता को अनुमोदित किया जा चुका है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को स्थायी आधार पर

पर्यावरणीय मानकों को पूरा करते हुए पुनर्चक्रण योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का फोकस क्षमता निर्माण और शोधित डिस्चार्ज एफ्लुएंट में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है। चक्रीयता को संस्थागत बनाने के लिए, रिसोर्स रिकवरी कार्यक्रमों की योजना बनाने, निगरानी करने और इनका विस्तार करने के लिए इस पहल के तहत 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वाटर रिसोर्स रिकवरी सेल (डब्ल्यूआरआरसी) स्थापित किए गए हैं।

नागरिकों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए, अमृत के तहत, 43,359.6 करोड़ रुपये की 1403 जल आपूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत 2.0 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक देश भर के 2,484 यूएलबी में 1,19,636.49 करोड़ रुपये की 3,528 जल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अमृत/अमृत 2.0 के माध्यम से और राज्यों के साथ मिलकर अब तक शहरी क्षेत्रों में 238 लाख जल नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 90,457.51 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है/बदला गया है। 5,417 एमएलडी जल शोधन क्षमता विकसित की गई है।

इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में 11,393 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (नया/संवर्धन), 178 लाख नए घरेलू जल नल कनेक्शन और 1.26 लाख किलोमीटर पाइपलाइन बिछाना (नई और प्रतिस्थापन) शामिल है।

राज्यों ने अमृत 2.0 के तहत ड्रिंक फ्रॉम टैप (डीएफटी) परियोजनाएं शुरू की हैं। राज्यों को प्रत्येक अमृत शहर के भीतर जिला मीटर्ड क्षेत्र (डीएमए) या वार्ड में कम से कम एक डीएफटी परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत 349 यूएलबी में 16.72 लाख परिवारों को लाभान्वित करने वाली 1,153 डीएमए सहित 408 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

अमृत 2.0 के तहत अमृत मित्र पहल में जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण और अन्य जल क्षेत्रीय परियोजनाओं आदि में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल किया गया है। इस पहल के तहत अब तक 376.95 करोड़ रुपये की 6,067 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 38,000+ एसएचजी सदस्य शामिल हैं, जिनमें से 60.68 करोड़ रुपये की 697 परियोजनाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए अनुमोदित किया गया है।

\*\*\*\*\*